बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0– निग/सारा– (यो0 एवं वि0) आरोप–40/2025 7414(5) **पटना, दिनांक** 15/12/25

सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, पटना के पत्रांक–3978 दिनांक–15.07.2025 के द्वारा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, छपरा में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों में बेंच–डेस्क के भुगतान हेतु मापी पुस्तिका संधारित किये बिना श्री जमील अहमद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, छपरा द्वारा भुगतान की कार्रवाई किये जाने के मामले में आरोप पत्र गठित कर अग्रतर कार्रवाई करने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री अहमद के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–8717 (एस) अनु0 दिनांक–04.11.2025 के द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री अहमद के विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत है :–

(1) श्री जमील अहमद, तदेन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, छपरा (सारण) सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) के द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों में बेंच डेस्क के विरूद्ध रू0 2.086/– करोड़ का मापी पुस्तिका का संधाारण किये बिना भुगतान किया गया है, जो पी0डब्ल्यू0डी0 एकाउन्टस कोड के नियम– 243 का उल्लंघन है।

2. श्री अहमद के विरूद्ध गठित उक्त आरोप के संबंध में उनके पत्रांक–738 अनु0 दिनांक–19.11.2025 के द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन विभाग समर्पित किया गया, जिसमे मुख्य रूप से अंकित तथ्य निम्नवत है :–

(i) श्री अहमद द्वारा समर्पित बचाव के लिखित अभिकथन में योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 5322 दिनांक 18.12.2023 द्वारा दिये गये दिशा–निदेश का उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत आपूर्ति हुए बेंच डेस्क के भुगतान के संबंध में जिला योजना पदाधिकारी, सुपौल को निर्देश दिया गया है कि प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के उपरान्त कार्यपालक अभियंता को सभी कागजात भेजते हुए भुगतान का अनुरोध किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया के उपरान्त यदि कार्यपालक अभियंता द्वारा भुगतान में आपत्ति उठाई जाती है तो इसका निराकरण किया जा सकेगा।

(ii) श्री अहमद द्वारा अपने बचाव का लिखित अभिकथन में विपत्र को प्रमंडल में पदस्थापित योजना सहायक एवं प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त नियमानुसार करों की कटौती करते हुए भुगतान हेतु कार्यपालक अभियंता के पास संचिका उपस्थापित किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त जिस योजना में जिला योजना पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित करने के पूर्व संयुक्त जाँच दल में प्रमंडल के किसी भी पदाधिकारी को शामिल किया जाता है तो उन सभी योजनाओं

का संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता से स्थल निरीक्षणोंपरान्त बेंच डेस्क की मापी एम०बी० में दर्ज करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाता है और जिन योजनाओं में प्रमंडल के किसी भी पदाधिकारी को शामिल नहीं किया जाता है, उन योजनाओं का मापी एम०बी० में दर्ज नहीं किया जाता है। जिला योजना पदाधिकारी द्वारा संयुक्त जाँच दल में प्रमंडल के किसी भी पदाधिकारी को शामिल नहीं किया गया था अर्थात प्रमंडल स्तर से किसी प्रकार का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया था इसलिए योजनाओं की मापी एम०बी० में दर्ज नहीं किया गया है, जो नियमानुकूल है।

(iii) श्री अहमद द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन में यह भी उल्लेखित है कि उनके पदस्थापन अवधि में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत बेंच डेस्क का कुल पाँच योजनाओं में जिला योजना पदाधिकारी द्वारा प्रमंडल के किसी भी पदाधिकारी को संयुक्त जाँच दल में बिना शामिल किये विपत्र को पारित किया गया अर्थात प्रमंडल स्तर से किसी भी अभियंता द्वारा स्थलीय जाँच नहीं की गयी है, फलस्वरूप इन पाँचो योजनाओं का मापी एम०बी० में दर्ज नहीं किया गया है। योजनाओं का अभियंता द्वारा बिना मापी के एम०बी० में दर्ज करना नियामानुकूल एवं उचित नहीं है।

3. श्री अहमद के विरूद्ध गठित आरोप योजना एवं विकास विभाग से संबंधित होने के आलोक में उनके द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन पर विभागीय पत्रांक–3169 (एस) अनु० दिनांक 08.05.2026 द्वारा योजना एवं विकास विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में योजना एवं विकास विभाग का पत्रांक–2621, दिनांक 21.05.2026 द्वारा मंतव्य/प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत मुख्य रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि PWD Accounts Code के नियम–243 में यह स्पष्ट निदेश है कि सामग्री के आपूर्ति के विरूद्ध भुगतान की राशि मापी पुस्त में दर्ज होना अनिवार्य है, अन्यथा भुगतान अनियमित माना जायेगा। श्री अहमद द्वारा जिला योजना पदाधिकारी, छपरा से प्राप्त विपत्र में मापी पुस्त नहीं रहने पर भुगतान करने के पूर्व इन्हें आपत्ति करनी चाहिए थी. जो इनके द्वारा नहीं की गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री अहमद द्वारा बिना मापी पुस्त दर्ज किये भुगतान किया गया है, जिसके लिए श्री अहमद दोषी है।

4. उक्त मामले की समीक्षा किये जाने के क्रम में बेंच डेस्क के आपूर्ति के मामले में PWD Account Code के नियम 243 के तहत भुगतान के पूर्व MB में मापी दर्ज करने की आवश्यकता है अथवा नहीं के बिन्दु पर अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) से मंतव्य प्राप्त किया गया, अभियंता प्रमुख के द्वारा भी सामग्रियों की आपूर्ति मापी एम0बी0 में दर्ज किये जाने को आवश्यक बताते हुए यह उल्लेख किया गया है कि विषयांकित मामले में प्रतीत होता है कि कार्य के निष्पादन हेतु किसी कनीय अभियंता को प्राधिकृत नहीं किया गया है अर्थात कार्य की मापी दर्ज करने वाले पदाधिकारी की अनुपलब्धता रही है। जिला योजना पदाधिकारी, छपरा से प्राप्त विपत्र में मापीपुस्त नहीं रहने पर भुगतान करने के पूर्व उन्हें आपत्ति करनी चाहिए थी, जो इनके द्वारा नहीं की गयी है। इस प्रकार श्री अहमद द्वारा कार्यो के निष्पादन में प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित होती है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री अहमद के विरूद्ध गठित आरोप, इनके द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन, योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य एवं अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) के मंतव्य की समेकित रूप से समीक्षा की गयी। संचिका में रक्षित अभिलेखों के समीक्षोपरांत पाया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत बेंच डेस्क क्रय के संबंध में विपत्र पारित करते हुए भुगतान आदेश निर्गत करने की प्रक्रिया तक का दायित्व जिला योजना पदाधिकारी का है। इसके उपरांत मात्र भुगतान करने का दायित्व कार्यपालक अभियंता का है। इससे स्पष्ट होता है कि आपूर्त्ति किये गये बेंच डेस्क की मापी को एम0बी0 में दर्ज कराने की जवाबदेही जिला योजना पदाधिकारी की है और यदि भुगतान करने के क्रम में एम0बी0 नहीं रहने पर कार्यपालक अभियंता द्वारा भुगतान के पूर्व इस पर आपत्ति उठानी चाहिए थी, परन्तु कार्यपालक अभियंता द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जो इनकी प्रक्रियात्मक चूक परिलक्षित होती है। इस हद तक आरोपी श्री अहमद के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है।

6. अतएव उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री जमील अहमद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल संख्या–01, छपरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन पत्रांक–738 अनु० दिनांक 19.11.2025 को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 14 (v) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

(क) **" 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"**

दण्ड प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(राकेश कुमार)
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– **निग/सारा– (यो0 एवं वि0) आरोप–40/2025** **पटना, दिनांक**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— निग/सारा— (यो0 एवं वि0) आरोप—40/2025 ४५१९(९) पटना, दिनांक 15.10.2026

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (द्वारा—आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना)।

अनु0—यथोक्त।

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

13.10.26